उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-33/527/30-3-14-05जीई/1997
लखनऊ, दिनॉक 28 मार्च, 2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

परिवहन अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2284/30-03-06-73जीडब्लू/90, दिनॉक 29-09-2006 द्वारा निर्गत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में वर्ष 1993 बैच के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के नाम निम्नवत् हैं :-

क्रमांक	ज्येष्ठता सूची क्रमांक	नाम
1.	61	श्री संजय सिंह
2.	62	श्री मयंक ज्योति
3.	63	श्री भीमसेन सिंह
4.	64	श्री अनिल कुमार (अनुसूचित जाति)
5.	65	श्री राधेश्याम (अनुसूचित जाति)
6.	66	श्री रामरतन

2- श्री रामरतन, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की इस आशय की आपत्ति परिवहन आयुक्त के माध्यम से प्राप्त हुई कि परिवहन अनुभाग-3 की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-2071/30-3-97-05जीई/97, दिनॉक 09-07-97 द्वारा वर्ष 1993 बैच के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के जो नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं, उसमें उनका (श्री रामरतन) नाम वर्ष 1993 बैच के ही श्री अनिल कुमार व श्री राधेश्याम से नीचे है और उसी क्रम में वर्ष 2006 में निर्गत ज्येष्ठता सूची में भी नाम रखे गए हैं, जबकि प्राप्तांकों के आधार पर उनका (श्री रामरतन) नाम श्री अनिल कुमार और श्री राधेश्याम से ऊपर होना चाहिए।

3- इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से प्राप्त वर्ष 1993 बैच के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के प्राप्तांकों की सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि श्री भीमसेन सिंह, (ज्येष्ठता क्रमांक-63) के प्राप्तांक- 1111 एवं श्री अनिल कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-64) के प्राप्तांक-970 हैं, जबकि प्रत्यावेदक श्री रामरतन (ज्येष्ठता क्रमांक-66) के प्राप्तांक-1069 हैं। इस प्रकार प्राप्तांकों के आधार पर श्री रामरतन का नाम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-63 पर उल्लिखित श्री भीमसेन सिंह के नीचे एवं ज्येष्ठता क्रमांक-64 पर उल्लिखित श्री अनिल कुमार के ऊपर अर्थात् क्रमांक-63ए पर रखा जाना चाहिए।

4- कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या-13/2/91-टी0सी0-का-1/1999, दिनॉक 20-03-1991 द्वारा निर्गत उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8(2)(क) के प्राविधानों के अनुसार श्री रामरतन (ज्येष्ठता क्रमांक-66) का नाम ज्येष्ठता क्रमांक-63ए पर रखे जाने के प्रस्ताव से सीधे प्रभावित होने वाले

http://shasanadesh.up.nic.in

श्री अनिल कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-64) व श्री राधेश्याम (ज्येष्ठता क्रमांक-65) से परिवहन अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2025/30-03-2013-5जीई/1997, दिनॉक 03-10-2013 द्वारा एक सप्ताह में आपत्तियॉ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

5- वांछित अभिलेख एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त लगभग 04 माह की अवधि व्यतीत होने पर भी श्री अनिल कुमार द्वारा कोई आपत्ति/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया किन्तु श्री राधेश्याम ने अपने पत्रांक-184/प्रशासन/2013, दिनॉक 01-02-2014 द्वारा आपत्ति/प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें मुख्य रूप से यह आपत्ति की गयी है कि अधिमानता व रोस्टर के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा जिस क्रम में नाम भेजे गए हैं और उसके आधार पर पूर्व में जो ज्येष्ठता सूची जारी की गयी है, उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि चूॅकि श्री रामरतन द्वारा सेवा में आने के 16 वर्ष बाद ज्येष्ठता सूची में अपनी अवस्थिति को संशोधित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, अत: उस पर विचार न किया जाए।

6- श्री राधेश्याम की आपत्तियों/प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जाना है कि रोस्टर की व्यवस्था आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन में नियत प्रतिशत में प्रतिभागिता सुनिश्चित करने की एक प्रणाली है, किन्तु जहॉ तक ज्येष्ठता निर्धारण का बिन्दु है इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8(2)(क) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथास्थिति आयोग द्वारा या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी हो। तदनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 1993 में चयनित अभ्यर्थियों की प्राप्तांक सूची से यह स्पष्ट है कि श्री रामरतन सोनी के प्राप्तांक श्री अनिल कुमार और श्री राधेश्याम से अधिक हैं, अत: योग्यता सूची के आधार पर श्री रामरतन का नाम उक्त दोनों अधिकारियों से ऊपर होना चाहिए। जहॉ तक इस आपत्ति का बिन्दु है कि श्री रामरतन द्वारा 16 वर्ष बाद आपत्ति की गयी है, इस सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जाना है कि त्रुटियों का परिशोधन कभी भी किया जा सकता है और इस हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। वर्ष 1993 बैच के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों की पूर्व में जारी ज्येष्ठता सूची में योग्यता सूची को आधार न बनाए जाने की त्रुटि का परिमार्जन अब किया जा रहा है और इससे श्री राधेश्याम के किसी संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होता है और कोई विधिक कठिनाई नहीं है।

7- तदनुसार परिवहन अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2071/30-3-2013/5जीई/97, दिनॉक 30-10-2013 द्वारा परिचालित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में प्राप्त श्री राधेश्याम की आपत्तियों को निरस्त करते हुए उनके प्रत्यावेदन का निस्तारण करते हुए कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2284/30-03-06-73जीडब्लू/90, दिनॉक 29-09-06 द्वारा जारी की गयी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठता सूची

http://shasanadesh.up.nic.in

(तृतीय खण्ड) में श्री रामरतन, ज्येष्ठता क्रमांक-66 पर अवस्थापित, की ज्येष्ठता संशोधित कर क्रमांक-63 पर अवस्थित श्री भीमसेन सिंह के नीचे एवं ज्येष्ठता क्रमांक-64 पर अवस्थित श्री अनिल कुमार से ऊपर ज्येष्ठता क्रमांक-63ए पर प्रतिस्थापित किया जाता है।

तदनुसार कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2284/30-03-06-73जीडब्लू/90, दिनॉक 29-09-2006 द्वारा जारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठता सूची इस सीमा तक संशोधित समझी जाएगी।

ह0

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या-33/527(1)/30-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- परिवहन विभाग के समस्त अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5- सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in